

(नियम 26)


अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

दशरथ सिंह वगै० बनाम प्रताप सिंह वगै०

किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 83 सन् 2024

2024/25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
1.07.2024	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। मुताबिक रिपोर्ट उक्त आराजीयात को लेकर केवियटर श्री प्रतापसिंह पुत्र भंवर सिंह व अरुण सिंह पुत्र प्रतापसिंह द्वारा केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। केवियटर की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। केवियट प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ संलग्न हो। अधिवक्ता प्रार्थीगण व केवियटर/प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 02 ने अपनी बहस में बताया की उक्त पक्षकारान् के बीच मुख्य विवाद सीमाओ को लेकर है। अतः उक्त विवादित आराजीयात के संबंध में मौका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की जावे। अधिवक्ता वादीगण ने भी मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट हेतु तहसीलदार पीपलू को लिखा जावे। साथ ही प्रतिपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से मौका रिपोर्ट तलब होने तक पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित भूमि आराजी ख0न0 2121, 2158, 4451/2160, 4453/2358, 4457/2427, 4460/2467, 4461/3709, 4464/2313, 4509/4448 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2.1419 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू, पटवार हल्का पीपलू में स्वयं, जरिये एजेन्ट, नौकर व अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात के कब्जे काश्त में मजामहत व मदाखलत नही करे एवं आराजीयात को काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर शेष प्रतिपक्षीगण के तामिली समन जरिये रजिस्टर्ड एडी० जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.08.2024 को वास्ते मौका कमिश्नर रिपोर्ट व तलबी प्रतिवादी संख्या 03 ता 05 पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उप-अण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p> <p>08/08/24 20.08.24</p>	

30/8/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
30/8/24 पेश हो।

30/8/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
17/9/24 पेश हो।

17/09/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
08.10.2024 पेश हो।

08/10/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
07.11.2024 पेश हो।

07/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी व प्रतिपक्षी
संख्या 01 ता 02 उप-। प्रतिपक्षी संख्या 03 व 04
की ओर से अधिवक्ता श्री नन्दकिशोर शर्मा व
श्री हेमराज गुप्ते एस. ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।
पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र दिनांक 14.11.2024
की पेश हो।

14/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
13.12.2024 पेश हो।

14/11/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी
उत्प्रेक्षित/पीओ साहब राजकार्य में व्यस्त/
अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण
पत्रावली तत् आदेशिका अनुसार दिनांक
14.12.23 पेश हो।

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

.....मुकाम.....
 बनावत.....
 व्हरय सिह प्रतापसिंह वंगे.
 नं. 83 सन् 2024

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
02/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपर। पत्रावली वास्ते जवान दिनांक 21.02.25 को पेश हो।	
21/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपर। जवान बादपत्र प्रस्तुत हुआ। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. फर दिनांक 28.02.2025 को पेश हो।	
28/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कमी/पत्रावली उभयपक्ष/पी ओ साहब राजकार्य में ब्यस्त। अयकशा पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली त्त आवेशिका अनुसार दिनांक 30.04.25 को पेश हो।	
14/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता कमी/पत्रावली उभयपक्ष/पी ओ साहब राजकार्य में ब्यस्त। अयकशा पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली त्त आवेशिका अनुसार दिनांक 11/7/25 को पेश हो।	
15/ पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपर। पत्रावली वास्ते बहस प्रा. फर दिनांक 16/9-25 को पेश हो।	

27/05 प्रा.पत्र विभाग तत्काल कर पत्रावली बिहो
बिहो जाने काबल प्रस्तुत होने पर पत्रावली
आज दिनांक से पेश हुई। मूल बाद बिहो
बिहो जाने से कारण प्रा.पत्र अस्वाधी
निवेधना से अधिक कार्यवाही उपेक्षित
नहीं होने से पत्रावली से जारी अस्वाधी
निवेधना इसी तरह पर जातिन की जाती
है एवं पत्रावली इसी तरह बिहो की जाती
है। पत्रावली निर्णित शुभकर होकर दफ्तर
दाखिल है एवं नियमानुसार नम्बर से
कम है।


उप सचिव अधिकारी
बीपल (टीक)